किसान एफएफएस खाद प्रणाली का विरोध पुरानी वितरण व्यवस्था की मांग

विषय सूची (Table of Contents):

>> किसान एफएफएस खाद प्रणाली का विरोध पुरानी आधार कार्ड आधारित वितरण व्यवस्था लागू ...
>> १. नई एफएफएस (FFS) खाद वितरण प्रणाली और किसानों के विरोध का मुख्य कारण...
>> २. एफएफएस मशीन में तकनीकी खामियां और वितरण में होने वाली व्यावहारिक समस्याएं...
>> ३. पुरानी आधार कार्ड आधारित वितरण व्यवस्था को पुनः लागू करने की प्रमुख मांग...
>> ४. पुरानी आधार व्यवस्था बनाम नई एफएफएस प्रणाली किसानों की सुविधा का तुलनात्मक व...
>> ५. बुवाई सीजन में खाद संकट का खेती और पैदावार पर पड़ने वाला सीधा असर...
>> ६. खाद वितरण विवाद पर प्रशासन, सहकारी सोसायटियों और कृषि विभाग का रुख...
>> ७. प्रशासन को किसानों का अल्टीमेटम और मांगें पूरी न होने पर आगामी आंदोलन की रूपर...
>> आपके सवाल, हमारे जवाब...

किसान एफएफएस खाद प्रणाली का विरोध: पुरानी आधार कार्ड आधारित

हिण्डोली क्षेत्र में खाद वितरण की नई व्यवस्था को लेकर किसानों में भारी आक्रोश है। हाल ही में लागू की गई नई एफएफएस (FFS) खाद वितरण प्रणाली के कारण किसानों को उर्वरक प्राप्त करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अकाल जैसी कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे किसानों ने इस नई व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं की गई, तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।

१. नई एफएफएस (FFS) खाद वितरण प्रणाली और किसानों के विरोध का

प्रशासन द्वारा25 अगस्त 2026से क्षेत्र में एफएफएस खाद वितरण प्रणाली लागू की गई है। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य खाद वितरण को पारदर्शी बनाना हो सकता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह किसानों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। किसानों का आरोप है कि इस प्रणाली के नियम इतने जटिल हैं कि वास्तविक काश्तकारों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। विशेषकर ऐसे समय में जब फसल की बुवाई और वृद्धि के लिए खाद अत्यंत आवश्यक है, यह नई प्रणाली किसानों के हितों पर कुठाराघात कर रही है।

२. एफएफएस मशीन में तकनीकी खामियां और वितरण में होने वाली व्य

किसानों द्वारा उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में एफएफएस प्रणाली से जुड़ी कई गंभीर व्यावहारिक समस्याएं उठाई गई हैं:

>> जमीनी रिकॉर्ड की समस्याएं:जिन किसानों की जमीनों की रजिस्ट्री बंद है या जिनका इंतकाल (नामांतरण) नहीं खुला है, उन्हें नई प्रणाली के तहत खाद मिलने में भारी दिक्कत आ रही है।

>> जवारे और भगवान की डोहली भूमि:जो किसान जवारे के आधार पर या भगवान की डोहली की भूमि पर खेती कर रहे हैं, उनके लिए खाद की उपलब्धता का कोई स्पष्ट प्रावधान नई मशीनरी में नहीं है।

>> सिवायचक और विवादित जमीनें:सिवायचक भूमि पर जुर्माना जमा करने वाले किसानों तथा पारिवारिक विवाद या जमीन के बंटवारे से जूझ रहे काश्तकारों के लिए खाद प्राप्त करना लगभग असंभव हो गया है।

३. पुरानी आधार कार्ड आधारित वितरण व्यवस्था को पुनः लागू करने

इन तमाम जटिलताओं को देखते हुए, किसानों ने प्रशासन से एक सुर में एफएफएस प्रणाली को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की है। उनकी प्रमुख मांग है कि पुरानी आधार कार्ड आधारित खाद वितरण प्रणाली को फिर से लागू किया जाए। पुरानी व्यवस्था में किसान अपने आधार कार्ड का उपयोग करके आसानी से अपनी जरूरत के हिसाब से खाद प्राप्त कर लेते थे। (आधार से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आपआधार कार्ड अपडेट नई डॉक्यूमेंट लिस्टदेख सकते हैं)।

४. पुरानी आधार व्यवस्था बनाम नई एफएफएस प्रणाली: किसानों की स

पुरानी आधार कार्ड व्यवस्था किसानों के लिए अधिक सुलभ थी क्योंकि उसमें केवल पहचान के आधार पर उर्वरक मिल जाता था, जिससे भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी तकनीकी अड़चनें आड़े नहीं आती थीं। वहीं, नई एफएफएस प्रणाली में भूमि के रिकॉर्ड का कड़ाई से मिलान होता है, जिससे रिकॉर्ड अपडेट न होने की स्थिति में किसान खाद से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के सुचारू लाभ के लिए बैंक खातों का सही होना भी जरूरी है (अधिक जानकारी के लिएआधार-बैंक लिंक स्टेटसचेक करें)। एफएफएस की सख्ती के कारण किसानों को अपनी ही जमीन के लिए खाद के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।

५. बुवाई सीजन में खाद संकट का खेती और पैदावार पर पड़ने वाला

हिण्डोली क्षेत्र की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों के अनुसार, यहाँ के किसान साल मेंतीन फसलेंलेते हैं। इस सघन खेती के कारण क्षेत्र में उर्वरक की आवश्यकता सामान्य से अधिक होती है। किसानों का कहना है कि एफएफएस प्रणाली के तहत जो

खाद की मात्रा निर्धारित की गई है, वह उनकी खेती के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। यदि समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिलेगी, तो फसल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होगा, जो पहले से ही अकाल की मार झेल रहे किसानों को आर्थिक संकट में धकेल देगा।

६. खाद वितरण विवाद पर प्रशासन, सहकारी सोसायटियों और कृषि विभि

खाद वितरण में आ रही इन बाधाओं को लेकर किसानों ने सीधे उपखंड अधिकारी (SDM) का दरवाजा खटखटाया है। फिलहाल किसानों ने ज्ञापन सौंपकर प्रशासन और संबंधित कृषि विभागों को अपनी समस्याओं से अवगत करा दिया है। अब यह देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन, कृषि विभाग और सहकारी समितियां इन व्यावहारिक समस्याओं (जैसे पारिवारिक विवादित भूमि या इंतकाल न होने की स्थिति) को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाती हैं या सिस्टम में क्या बदलाव करती हैं।

७. प्रशासन को किसानों का अल्टीमेटम और मांगें पूरी न होने पर

ज्ञापन सौंपने के दौरान किसानों ने प्रशासन को स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है कि यदि उनकी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ और पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में युवा नेता करण सिंह, पूर्व सरपंच कन्हैया लाल गुर्जर, श्याम गुर्जर बिछिड़ी, आमोद शर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष गजराज सिंह सोलंकी, बलराम सैनी और हेमंत सैनी सहित कई अन्य प्रमुख किसान उपस्थित थे।

आपके सवाल, हमारे जवाब

किसान 25 अगस्त 2026 से लागू की गई नई एफएफएस (FFS) खाद वितरण प्रणाली का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण उन्हें खाद प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है।

इस प्रणाली के तहत जिन जमीनों का इंतकाल (नामांतरण) नहीं हुआ है, पारिवारिक विवाद है, या जो जवारे व भगवान की डोहली जैसी भूमियों पर खेती कर रहे हैं, उनके लिए खाद प्राप्त करने का नियम स्पष्ट नहीं है। साथ ही, साल में तीन फसलें होने के बावजूद मिलने वाली खाद की मात्रा अपर्याप्त है।

किसानों ने उपखंड अधिकारी से मांग की है कि इस नई एफएफएस प्रणाली को तत्काल बंद किया जाए और किसानों की सुविधा के लिए पुरानी आधार कार्ड आधारित वितरण व्यवस्था को पुनः लागू किया जाए।

किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे मजबूरन बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे।